

रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010

सं. प्रशा/XIV/14162/छठवां वेतन आयोग/परिपत्र/जिल्द-IV
AN/XIV/14162/Vith CPC/Circular/VoI-IV

दिनांक: 03/10/2011

सेवा मे,

सभी प्रधान/रक्षा लेखा नियंत्रक
All PCsDA/CsDA
(Through CGDA Mail Server)

विषय: केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान -- दिनांक 1.7.2011 से प्रभावी मंहगाई भत्ते की परिशोधित दरे ।

Sub: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees – Revised Rates effective from 1.7.2011.

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 3/10/2011 के कार्यालय ज्ञापन सं० फा.सं. 1(14)/2011-ई-11(बी) की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है ।

A copy of Government of India, Ministry of Finance, Dept. of Expenditure OM No. 1(14)/2011-E-II (B) dated 3rd October 2011 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and necessary action please.


ई/-

(आर के भट्ट)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन 4 अनुभाग (स्थानीय)
2. लेखा परीक्षा- 1,2,4 (स्थानीय)
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)
4. ई डी पी सेन्टर (स्थानीय) ----- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केन्द्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)
7. मास्टर नोट बुक (प्रशासन 14)



(आर के भट्ट)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

No. 1(14)/2011-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 3rd October, 2011.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.7.2011.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1 (2)/2011-E-II(B) dated 24th March, 2011 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 51% to 58% with effect from 1st July, 2011.

2 The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1 (3)/2008-E-II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3 The additional instalment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4 These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

5 In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.



(Anil Sharma)

Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list etc.

Copy (with usual number of spare copies) to C&AG, UPSC etc. as per standard list.

फा.सं.1(14)/2011-ई-II (बी)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 03 अक्टूबर, 2011

कार्यालय जापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान - 01.07.2011 से लागू संशोधित दरें।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 24 मार्च, 2011 के कार्यालय जापन संख्या 1(2)/2011-ई-II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की मौजूदा 51 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 01 जुलाई, 2011 से 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2. इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय जापन सं.1(3)/2008-संस्था-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।
3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।
4. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यवस्था रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष में प्रभावी होगा। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं।

अ. शर्मा

(अनिल शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि:-

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार (सामान्य संख्या में अनिश्चित प्रतियाँ सहित)।